



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)

An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
18, Institutional Area, S.J.S.Marg, New Delhi-110016

TEL: 26858570,333

Website: www.kvsangathan.nic.in

Email: kvsbudget@gmail.com

F.No. 11-AccOTally/1/2023-Accounts / 694 .

Date: 18.08.2026

The Deputy Commissioner/Director
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices, ZIETs

Subject: Cheque Printing through Tally made mandatory w.e.f. 01.09.2026.

Madam/Sir,

I am to refer to this office letter of even number dated 08.04.2026, wherein all the Regional Offices/ZIETs were requested to ensure the cheque printing through the Online Tally Accounting Package in all units under their jurisdiction w.e.f. 1.04.2026 on trial basis.

2. Further, vide this office letters dated 25.06.2026 and 15.07.2026, all the Regional Offices were requested to furnish the details of the issues/challenges emerged during the printing of cheques through the Online Tally Accounting Package. Subsequently, vide letter dated 30.07.2026, the Regional Offices were also requested to furnish the status of infrastructure for implementation of cheque printing. The challenges/issues etc. have been examined and sorted out in consultation with the service provider.

3. In the view of the above, the Competent Authority has decided to implement the printing of cheques and Payment Authority letter through the Online Tally Accounting Package as mandatory w.e.f. 01.09.2026 in all units of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS). As such, it should be treated as most important and all the Regional Offices and ZIETs must ensure the strict compliance of mandatory printing of cheques and payment Authority letter through Online Tally Accounting Package w.e.f. 01.09.2026.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar)

Deputy Commissioner(Fin.)

Copy to: -

1. PS to Commissioner, KVS for information.
2. PS to ADC(Admn), KVS for information.
3. AC, IT(Cell) for uploading on KVS website.
4. Guard file.



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.)
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
18, Institutional Area, S.J.S.Marg, New Delhi-110016
TEL: 26858570,333
Website: www.kvsangathan.nic.in
Email: kvsbudget@gmail.com

F.No. 11-Acc0Tally/1/2023-Accounts / 694.

Date: 18.08.2026

उपायुक्त/निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/जिद्स ।

विषय: दिनांक 01.09.2026 से टैली के माध्यम से चेक प्रिंटिंग अनिवार्य किए जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/जिद्स को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी केन्द्रीय विद्यालयों में दिनांक 01.04.2026 से ट्राइल बेसिस पर ऑनलाइन टैली अकाउंटिंग पैकेज के माध्यम से चेक प्रिंटिंग सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

2. आगे, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2026 एवं 15.07.2026 के माध्यम से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से ऑनलाइन टैली अकाउंटिंग पैकेज के माध्यम से चेक प्रिंटिंग के दौरान सामने आई समस्याओं/चुनौतियों का विवरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। इसी क्रम में पत्र दिनांक 30.07.2026 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को चेक प्रिंटिंग के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध आधारभूत संरचना (Infrastructure) की स्थिति भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। समस्त चुनौतियों/समस्याओं का सेवा प्रदाता के साथ परामर्श एवं समीक्षा कर समाधान कर लिया गया है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) की सभी इकाइयों में दिनांक 01.09.2026 से ऑनलाइन टैली अकाउंटिंग पैकेज के माध्यम से चेक एवं भुगतान प्राधिकरण पत्र (Payment Authority Letter) की प्रिंटिंग को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः इस कार्य को अति आवश्यक/महत्वपूर्ण समझा जाये एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिद्स यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 01.09.2026 से ऑनलाइन टैली अकाउंटिंग पैकेज के माध्यम से चेक एवं भुगतान प्राधिकरण पत्र की अनिवार्य प्रिंटिंग का सुदृढ़ता से अनुपालन हो।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(संजय कुमार)
उपायुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशासन), के.वी.एस को सूचनार्थ।
3. सहायक आयुक्त, आईटी(सेल), के.वी.एस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।